

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का संस्थान)  
बीज भवन, पूसा परिसर  
नई दिल्ली-110012

संख्या: 53(2)/18-मा.स./एनएससी

दिनांक 14 जनवरी, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: औद्योगिक मंहगाई भत्ता वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों / अधिकारियों के  
औद्योगिक मंहगाई भत्ते की दर में संशोधन।

उपरोक्त विषय पर दिनांक 14.10.2019 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन की ओर ध्यान  
आकृष्ट किया जाता है।

दिनांक 16.6.1998 को हुई 175वीं बैठक में निदेशक मण्डल के अनुमोदन से लोक उद्यम  
विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0039/2017-लोउवि (मजूरी कक्ष) जी.एल.- 1/20 दिनांक  
03.01.2020 के अनुसार 01.01.2020 से परिवर्तनीय औद्योगिक मंहगाई भत्ते का निर्णय लिया गया  
है चूंकि एन.एस.सी. में 01.01.2017 से नये वेतनमान कार्यालय आदेश सं. 154 दिनांक  
02.04.2018 से लागू हैं अतः औद्योगिक मंहगाई भत्ता वेतनमान में कार्यरत निगम के अधिकारियों /  
कर्मचारियों पर निम्नानुसार औद्योगिक मंहगाई भत्ता लागू होगा।

<u>देय तिथि</u>	<u>अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत</u>	<u>संशोधित मंहगाई भत्ते की दर (प्रतिशत) %</u>
01.01.2020	325	17.20%

ऊपर संदर्भित दर लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन डब्ल्यू-02/0039/2017-  
लोउवि (मजूरी कक्ष) जी.एल.- 1/20 दिनांक 03.01.2020 के अनुसार औद्योगिक मंहगाई भत्ता की दरें  
उन कर्मचारियों / अधिकारियों जिनके वेतन दिनांक 01.01.2017 से संशोधित किए गए हैं, के  
मामले में लागू होगी। वर्तमान दरों का भुगतान जनवरी 2020 माह के वेतन के साथ किया जाएगा।

बी.बी.साव  
14.01.2020  
(बी.बी. साव)

वरि. महा प्रबन्धक (मानव संशाधन)

प्रतिलिपि:

1. सभी क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रक्षेत्र प्रबन्धक, एनएससी लिमिटेड।
2. सभी फार्म प्रमुख, केन्द्रीय राज्य फार्म, एनएससी लिमिटेड।
3. मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष
4. सहायक महा प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/(क.भ.नि.), एन.एस.सी. नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव
6. सूचना तकनीकी विभाग- उचित कार्यावाही हेतु।
7. गार्ड फाइल।